छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
महानदी भवन,मंत्रालय,नया रायपुर

क्रमांक 80 /1990/2013/सात–2 नया रायपुर, दिनांक 17-1-14

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

विषयः– राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जन्म–मृत्यु के पंजीयन में हो रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में ।

––00––

उपरोक्त विषयॉन्तर्गत लेख है कि आपके ज़िलों में पदस्थ विभिन्न अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जन्म–मृत्यु के पंजीयन में हो रही कठिनाईयो के निराकरण के संबंध में संलग्न परिपत्र वितरित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

17/1/14
(वाय0पी0दुपारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक 81 /1990/2013/सात–2 नया रायपुर, दिनांक 17-1-14

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागायुक्त छ0ग0 की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया संबंधित कलेक्टर्स को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. संचालक एन.आई.सी. मंत्रालय रायपुर की ओर राजस्व विभाग की वेबसाईट http://cg.nic.in/revenue में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

17/1/14
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

No. 1886
Date 21/1/14

श्री Y.V.S

Uploaded
24/1/14

-12-D:\Pillay\pillay2\letter.doc

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक आर-1990/सा -2/2013/8159 रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

प्रति,

1. कलेक्टर,
   (सर्व) . . . . . .

2. अनुविभागीय अधिकारी,
   (सर्व) . . . . . .

3. तहसीलदार/नायब तहसीलदार
   (सर्व) . . . . . .
   छत्तीसगढ़.

विषय :- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु के पंजीयन में हो रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में.

दिनांक 22-11-2013 को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु के पंजीयन की स्थिति की राज्य स्तर पर समीक्षा की गई. समीक्षा में यह पाया गया, कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों अर्थात् जन्म-मृत्यु पंजीयकों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु का न तो सही तरीके से पंजीयन किया जा रहा है, और न ही जानकारी का संकलन किया जाकर जिला तथा राज्य स्तर को नियमित रूप से भेजा जा रहा है. समीक्षा के दौरान दिये गये प्रस्तुतीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म का पंजीकरण केवल 51.8 प्रतिशत है, जो देश के 36 राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में 35वें स्थान पर है. इसी तरह राज्य में मृत्यु के पंजीकरण केवल 60.1 प्रतिशत है, जो देश में 25वें स्थान पर है. उपरोक्त स्थिति को देखते हुये आप सहमत होंगे, कि राज्य में जन्म-मृत्यु के पंजीयन की स्थिति बड़ी खराब है तथा इसमें सुधार की बहुत जरुरत है. जन्म-मृत्यु का पंजीयन 100 प्रतिशत होना चाहिये तथा इसमें आपके प्रयासों की जरुरत है.

2. जन्म-मृत्यु के पंजीयन को व्यस्थित करने के लिए केन्द्र शासन के द्वारा "जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969" बनाया गया है. राज्य में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए "छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001" बनाया गया है. उक्त अधिनियम तथा नियमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से जिला/मैदानी स्तर के बहुत से अधिकारियों को रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नियुक्त किया गया है. उक्त अधिनियम, नियम तथा अधिसूचनाओं की छायाप्रति नीचे रखे अनुसार संलग्न कर पर्याप्त मात्रा आपकी ओर भेजी जा रही है. अक्सर नियमों की जानकारी के अभाव में अधिकारीगण कार्य करने में असमर्थ रह जाते हैं. अतः कृपया उक्त नियमों की एक-एक प्रति अपने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें.

3. उक्त अधिनियम तथा अधिसूचना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु के पंजीयन के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को रजिस्ट्रार तथा संबंधित सचिव, ग्राम पंचायत को उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है. इसी तरह नगरीय क्षेत्रों के लिए संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है. समीक्षा में यह पाया गया, कि उपरोक्तानुसार अधिसूचित पंजीयकों के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है. अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह की स्थितियां है. कहीं शत-प्रतिशत पंजीयन नहीं हो रहा है. कहीं पंजीयन हो रहा है, तो नियमित जानकारी नहीं भेजी जा रही है. जानकारी प्रति माह भेजी जानी चाहिये, लेकिन ब्लाक स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों से नियमित जानकारी नहीं आ पा रही है. आधे पंचायतों से जानकारी आ रही है, आधे से नहीं तथा जिले को आधे-अधूरी जानकारी भेजी जा रही है. इन सब कारणों से राज्य में जहां एक ओर जन्म-मृत्यु का शत-प्रतिशत पंजीयन नहीं हो रहा है, वहीं हो रहे पंजीयनों की भी केवल आधी-अधूरी जानकारी आ रही है. इससे जहां एक ओर राज्य में हो रहे पंजीयनों की सही-सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, वहीं लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भटकना पड़ता है.

4. नियम 2001 के नियम 5(3) में जन्म-मृत्यु की सूचना देने के लिए 21 दिन की समय सीमा निर्धारित है. नियम 9(1) में 21 दिन के पश्चात् तथा 30 दिन के भीतर सूचना देने पर 2.00 रुपये का विलंब शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है. नियम 9(2) में 30 दिन के पश्चात् तथा एक वर्ष के भीतर सूचना देने पर प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति, 5.00 रुपये का विलंब शुल्क तथा शपथ पत्र की अनिवार्यता रखी गई है. एक वर्ष के बाद जन्म-मृत्यु की सूचना देने पर पंजीयन के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक दण्डाधिकारी के आदेश तथा 10.00 रुपये का विलंब शुल्क पर पंजीयन करने का प्रावधान है. इस तरह पुराने मामलों में पंजीयन के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत तहसीलदार/नायब तहसीलदारों की अनुमति की भी आवश्यकता होती है. अतः इस निर्देश तथा संलग्न नियमों की एक-एक प्रति अपने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को भी पालनार्थ उपलब्ध करावें.

5. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिसूचना दिनांक 8-11-2007 के माध्यम से जन्म-मृत्यु की पंजीयन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जिला पंजीयक नियुक्त किया गया है. अतः आपके जिले में जन्म-मृत्यु का पंजीयन सतत् रूप से किये जाने तथा उसकी नियमित जानकारी भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व आपका है.

6. अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि आप अपने जिले में जन्म-मृत्यु के पंजीयन संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा करें. समीक्षा कर इसमें जो कमियां पाई जाती है, उसे दूर करें तथा अपने जिले में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करें. शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किये जाने वाले पंजीयन से मिलान भी किया करें. इसे प्रति सप्ताह ली जाने वाली समय-सीमा की बैठक में एक स्थाई एजेण्डा के रूप में शामिल करें.

संलग्न :—उपरोक्तानुसार

के. आर. पिस्दा,
सचिव.
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्रमांक आर-1990/सात-2/2013/8160

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
2. संचालक, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ़ रायपुर.
3. संभागीय आयुक्त, समस्त . . . . . छत्तीसगढ़.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

[31 मई 1969]

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—**

(1) यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है.

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख [1] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु किसी राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी.

2. **परिभाषाएं और निर्वचन.—**

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जन्म" से जीवित-जन्म या मृत-जन्म अभिप्रेत है;

(ख) "मृत्यु" से जीवित-जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है;

(ग) "भ्रूण-मृत्यु" से गर्भाधान के उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण से पूर्व जीवन के सब लक्षणों का अभाव हो जाना अभिप्रेत है;

(घ) "जीवित-जन्म" से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण अभिप्रेत है, जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात् श्वास लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण दर्शित करता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित-जात समझा जाता है;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(छ) "मृत-जन्म" से ऐसी भ्रूण-मृत्यु अभिप्रेत है जहां गर्भाधान का उत्पाद कम से कम विहित गर्भावधि प्राप्त कर चुका है.

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, निर्देश का उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है.

अध्याय-2
रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

3. **भारत का महारजिस्ट्रार.—**

(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी.

(3) महारजिस्ट्रार उन राज्य क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में साधारण निदेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाएगा और उक्त राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा.

4. मुख्य रजिस्ट्रार.—

(1) राज्य-सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी.

(2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी.

(3) राज्य-सरकार द्वारा दिये गए निदेशों के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के निष्पादन के लिए मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा.

(4) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए समुचित अनुदेश निकाल कर या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण की दक्ष पद्धति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उस राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर, जिन्हें विहित किया जाए, धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

5. रजिस्ट्रीकरण खंड.—

(1) राज्य-सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खण्डों में, जिन्हें वह ठीक समझे, विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण खण्डों के लिए विभिन्न नियम विहित कर सकेगी.

6. जिला रजिस्ट्रार.—

(1) राज्य-सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे.

(2) मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार जिले में के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निकाले गए आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिए उत्तरदायी होगा.

7. रजिस्ट्रार.—

(1) राज्य-सरकार नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार किसी नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किर सकेगी.

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गई इत्तिला, फीस या नाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा.

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो.

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यकाल में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर, जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दें, हाजिर रहेगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगवाएगा जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त हो उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होगे.

(5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां और कर्त्तव्य सौंप सकेगा.

अध्याय-3
जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

8. **जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति.—**

(1) नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूपों में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न विशिष्टियों की इत्तिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या दिलवाएं,-

(क) खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी घर में, चाहे वह निवासीय हो या अनिवासीय, हुए जन्म और मृत्यु की बाबत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्थियां निवास करती हों तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर या गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट की जानी हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति घर में उपस्थित न हो तो मुखिया का वह निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित सबसे बड़ा वयस्क पुरूष;

(ख) किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक चिकित्सक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;

(ग) जेल में जन्म या मृत्यु की बाबत, जेल का भारसाधक जेलर ;

(घ) किसी चावड़ी, छत्र, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, वासा, पांथशाला बैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक व्यक्ति ;

(ङ) लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव की बाबत, ग्राम की दशा में ग्रामणी या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर :

परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु या शव को पाता है या जिसके भारसाधन में ऐसा शिशु या शव रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामणी या पूर्वोक्त अधिकारियों को सूचित करेगा.

(च) किसी अन्य स्थान में, ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाएं.

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रजिस्ट्रीकरण खण्ड में विद्यमान दशाओं का ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह अपेक्षित कर सकेगी कि ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में जन्म और मृत्यु के संबंध में इत्तिला उस खण्ड में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बजाय वह व्यक्ति देगा जो राज्य सरकार द्वारा पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो.

9. **बागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबन्ध.**— किसी बागान में जन्म और मृत्यु की दशा में उस बागान का अधीक्षक धारा 8 में निर्दिष्ट इत्तिला रजिस्ट्रार को देगा या दिलवाएगा:

परंतु धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति उस बागान के अधीक्षक को आवश्यक विशिष्टियां देंगे.

स्पष्टीकरण.- इस धारा में "बागान" पद से चार हैक्टर से अन्यून विस्तार की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो चाय, काफी, काली मिर्च, रबड़ इलायची, सिनकोना या ऐसे अन्य उत्पादों को, जो राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, उपजाने के लिए तैयार की जा रही है या जिसमें ऐसी उपज वस्तुतः होती है तथा "बागान का अधीक्षक" पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बागान के श्रमिकों या बागान के कार्य का भार या अधीक्षण रखता हो, चाहे व प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो.

10. **जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्त्तव्य.**—

(1) (i) जन्म या मृत्यु के समय उपस्थित दाई या किसी अन्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य परिचारक का,

(ii) शवों के व्ययन के लिए अलग कर दिए गए किसी स्थान के प्रबंधक या स्वामी या ऐसे स्थान पर उपस्थित रहने के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति का, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति का, जिसे राज्य सरकार उसके पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें,

यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे जन्म या मृत्यु या दोनों की जिसमें उसने परिचर्या की हो या वह उपस्थित था, या जो ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, हुई है, सूचना रजिस्ट्रार को इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से दे जिसे विहित किया जाए.

(2) किसी क्षेत्र में इस निमित्त प्राप्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, ऐसे व्यक्ति से और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा.

(3) जहां राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाए वहां उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अपनी अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा-व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल वह चिकित्सा-व्यवसायी कोई फीस लिए बिना ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देने के लिए अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाणपत्र देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देते समय रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा.

11. **इत्तिला देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना.**—

प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई इत्तिला मौखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखे गये रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है तो रजिस्टर में अपने नाम, वर्णन और निवास-स्थान के सामने अपना अंगुष्ठ-चिन्ह लगाएगा और ऐसी दशा में वे विशिष्टियां रजिस्ट्रार द्वारा लिखी जाएंगी.

12. **इत्तिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना.**—

जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तला दी.

13. **जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण.**—

(1) जिस जन्म या मृत्यु की इत्तिला तदर्थ विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात्, किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह ऐसी विलम्ब-फीस, जो विहित की जाए, दिए जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी.

(2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इत्तिला उसके होने के तीस दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और विहित फीस दिए जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त

(3) जो जन्म या मृत्यु, होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर और विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी.

(4) इस धारा के उपबन्ध ऐसी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे जो किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उसके लिए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर कराने में किसी व्यक्ति के असफल रहने पर उसके विरूद्ध की जा सकती हो और ऐसे किसी जन्म या मृत्यु को ऐसी किसी कार्रवाई के लम्बित रहने के दौरान रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा.

14. **बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण.—**

जहां किसी बालक का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक की माता या पिता या संरक्षक बालक के नाम के संबंध में इत्तिला, या तो मौखिक या लिखित रूप में, रजिस्ट्रार को विहित कालावधि के भीतर देगा और तब रजिस्ट्रार ऐसे नाम को रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्रविष्टि को आद्यक्षरित करेगा और उस पर तारीख डालेगा.

15. **जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना.—**

यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित कर दिया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि प्ररूपत: या सारत: गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर की गई है तो वह ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा, ऐसी शर्तों की बाबत जिन पर और ऐसी परिस्थितियों की बाबत जिनमें ऐसी प्रविष्टियों को ठीक या रद्द किया जा सकेगा, बनाए जाएं, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना पार्श्व में यथोचित प्रविष्टि करके उस प्रविष्टि की गलती को ठीक कर सकेगा या उस प्रविष्टि को रद्द कर सकेगा तथा पार्श्व-प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसमें ठीक या रद्द करने की तारीख जोड़ देगा.

अध्याय-4
अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

16. **विहित प्ररूप में रजिस्टरों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना.—**

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता हो, विहित प्ररूप में जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा.

(2) मुख्य रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूपों और अनुदेशों के अनुसार, जो समय-समय पर विहित किए जाएं, जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियां करने के लिए पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवाएगा और प्रदाय कराएगा; तथा ऐसे प्ररूपों की स्थानीय भाषा में एक प्रति प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाह्य द्वारा पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी.

17. **जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तालाशी.—**

(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिनके अंतर्गत फीस और डाक-महसूल के संदाय के संबद्ध नियम भी है, कोई व्यक्ति -

(क) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगा ; तथा

(ख) ऐसे रजिस्टर में से किसी जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध कोई उद्धरण अभिप्राप्त कर सकेगा :

परंतु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु संबंधी कोई उद्धरण, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा.

(2) इस धारा के अधीन दिए गए सभी उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार, रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्धरण देने के लिए राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, प्रमाणित किए जाएंगे और उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध हो, साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य होंगे.

18. **रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण.—**

रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उनमें रखे गए रजिस्टरों की परीक्षा ऐसी रीति, से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे जिला रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा.

19. **कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना.—**

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किए जाएं, उस रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये रजिस्टर की जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों के बारे में एक विवरणी भेजेगा.

(2) मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारों द्वारा विवरणियों में दी गई इत्तिला का संकलन कराएगा और वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु की सांख्यिकीय रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किए जाए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा.

अध्याय-5
प्रकीर्ण

20. **भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबन्ध.—**

(1) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, महारजिस्ट्रार भारत के नागरिकों के भारत से बाहर जन्म और मृत्यु विषयक ऐसी इत्तिला रजिस्ट्रीकृत कराएगा जो उसे नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन बनाए गए और भारतीय कौंसल कार्यालयों में ऐसे नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी नियमों के अधीन प्राप्त हो और प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकरण भी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप में किया गया समझा जाएगा.

(2) भारत से बाहर जन्में ऐसे बालक की दशा में, जिसकी बाबत उपधारा (1) में यथा उपबंधित इत्तिला प्राप्त न हुई हो, यदि बालक के माता-पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत वापस आएं तो वे बालक के भारत पहुंचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय बालक का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से रजिस्ट्रीकृत करा सकेंगे मानो बालक का जन्म भारत में हुआ था और धारा 13 के उपबंध ऐसे बालक के जन्म को पूर्वोक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् लागू होंगे.

21. **जन्म या मृत्यु के संबंध में इत्तिला अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति .—**

रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से, या तो मौखिक या लिखित रूप से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिक्षेत्र में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई इत्तिला जो उसे है, वह उसे दे और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा.

22. **निदेश देने की शक्ति .—**

केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उस राज्य में निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों.

23. **शास्तियां.—**

(1) कोई व्यक्ति जो-

(क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसी इत्तिला, जिसे देना उसका कर्त्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा ; अथवा

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिख जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इत्तिला देगा या दिलवायेगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है ; अथवा

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ-चिन्ह लगाने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(2) कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(3) कोई चिकित्सा-व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाण-पत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लघंन के लिए इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं हैं, वह जुर्माने से, जो दस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जाएगा.

24. **अपराधों के प्रशमन की शक्ति .—**

(1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर पचास रुपये से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगा.

(2) ऐसी धनराशि दे देने पर वह व्यक्ति उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरूद्ध कोई आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी.

25. **अभियोजन के लिए मंजूरी .—**

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं.

26. **रजिस्ट्रारों और उप रजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझा जाना .—**

सभी रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, जब वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करते तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे.

27. **शक्तियों का प्रत्यायोजन .—**

राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति (जो धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति से भिन्न हो) ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी.

28. **सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण.-**

(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के, महारजिस्ट्रार के, किसी रजिस्ट्रार के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्त्तव्य का पालन कर रहा हो, विरूद्ध न होगी.

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या होने से संभाव्य किसी नुकसान के लिए सरकार के विरूद्ध नहीं होगी.

29. **इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्यांक 6 के अल्पीकरण में न होना .—**

इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के उपबंधों के अल्पीकरण में है.

30. **नियम बनाने की शक्ति.-**

(1) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी.

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे-

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों के प्ररूप ;

(ख) वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रारों को धारा 8 के अधीन इत्तिला दी जानी चाहिए ;

(ग) वह कालावधि जिसके भीतर और वह रीति जिसमें धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन जन्म और मृत्यु की सूचना दी जाएगी ;

(घ) वह व्यक्ति जिससे और वह प्ररूप जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा ;

(ङ) वे विशिष्टयां जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा ;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा ;

(छ) धारा 13 के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीसें ;

(ज) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ;

(झ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों की तालाशी और ऐसी तालाशी के लिए तथा रजिस्टरों में से उद्धरण दिये जाने के लिए फीसें ;

(ञ) वे प्ररूप जिनमें और वे अन्तराल जिन पर विवरणियां और सांख्यिकीय रिपोर्ट धारा 19 के अधीन दी और प्रकाशित की जाएगी ;

(ट) रजिस्ट्रारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना और अन्तरण ;

(ठ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में गलतियों को ठीक करना और उनकी प्रविष्टियों को रद्द करना ;

(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए.

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा.]

31. निरसन और व्यावृत्ति.-

(1) धारा 29 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त विधि का उतना अंश, जितने का संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों से है, उस राज्य या भाग में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय से, यथास्थिति, उस राज्य या भाग में निरसित हो जाएगा.

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत, निकाला गया कोई अनुदेश या निदेश, बनाया गया कोई विनियम या नियम या किया गया कोई आदेश भी है), जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो वे उस समय प्रवृत्त थे जब वह बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए.

1. 1986 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986) से अन्तःस्थापित.

32. **कठिनाई दूर करने की शक्ति .—**

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी राज्य में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई, उनके किसी क्षेत्र में लागू करने में उद्भूत होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, राज्य सरकार ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से, जब यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति. अनुमत-पत्र क. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी.ओ. रायपुर/17/2001.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22-ब] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2002—माघ 5, शक 1923

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 87/2002/23/यो.आ.सां.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (क्रमांक 18 सन् 1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001" है.
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में है,
(3) ये नियम अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18)
(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप, और
(ग) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.

3. **गर्भावधि.**— धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिये गर्भावधि 28 सप्ताह होगी.

4. **धारा 4 (4) के अधीन रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.**— धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप में तैयार की जावेगी और धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकी रिपोर्ट के साथ मुख्य रजिस्ट्रार के द्वारा प्रतिवर्ष, उस वर्ष के, जिस वर्ष से रिपोर्ट संबंधित हो, आगामी वर्ष की 31 जुलाई तक राज्य सरकार को भेजी जायेगी.

5. **जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिये प्ररूप आदि**—

(1) जन्म-मृत्यु तथा मृत-जन्म के रजिस्ट्रेशन के लिये, यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रार को दी जाने के लिये अपेक्षित जानकारी, क्रमशः प्ररूप क्रमांक 1, 2 एवं 3 में होगी जिसे इसमें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से रिपोर्ट प्ररूप कहा जायेगा. सूचना, यदि मौखिक रूप से दी जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त रिपोर्ट प्ररूपों में प्रविष्ट की जायेगी और सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आदि प्राप्त किया जाएगा.

(2) रिपोर्ट प्ररूप का वह भाग, जिसमें विधिक जानकारी है "विधिक भाग" कहा जाएगा और सांख्यिकी जानकारी वाला भाग "सांख्यिकी भाग" कहा जायेगा.

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट जानकारी जन्म, मृत्यु एवं मृत-जन्म की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर दी जायेगी.

6. **यान में जन्म या मृत्यु**—

(1) चलते हुए यान में जन्म या मृत्यु होने के संबंध में यान का भार साधक व्यक्ति प्रथम विराम स्थान पर धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देगा या दिलवायेगा.

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन के लिये शब्द "यान" से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार का ऐसा वाहन जिसका उपयोग भूमि, वायु या जल पर किया जाता हो तथा उसमें ऐसा कोई वायुयान, नौका, जहाज, रेल का डिब्बा, मोटर कार, मोटर साइकिल, गाड़ी, तांगा और रिक्शा सम्मिलित है.

(2) मृत्यु के उन मामलों में [जो धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) तक के अधीन नहीं आते हों] जिनमें मृत्यु समीक्षा की गई हो तो ऐसा अधिकारी, जो मृत्यु की समीक्षा करता है, धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जानकारी देगा या दिलवायेगा.

7. **धारा 10 (3) के अधीन प्रमाण-पत्र का प्ररूप**— धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित मृत्यु के कारण के बारे में प्रमाण-पत्र, प्ररूप क्रमांक-4 या 4 क में जारी किया जायेगा और रजिस्ट्रार, मृत्यु रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद ऐसे समस्त प्रमाण-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार, अथवा इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उस माह के, जिससे कि वे प्रमाण-पत्र संबंधित हैं, ठीक बाद आने वाले माह की 10 तारीख तक भेजेगा.

8. **धारा 12 के अधीन दिये जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रविष्टियों के उद्धरण.**—

(1) सूचनादाता को धारा 12 के अधीन जन्म या मृत्यु से संबंधित रजिस्टर से दी जाने वाली प्रविष्टियों के उद्धरण, यथास्थिति, प्ररूप क्रमांक-5 या प्ररूप क्रमांक-6 में होंगे.

(2) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर पर होने वाले जन्म और मृत्यु की घटनाओं के मामले में, जिसकी रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु की सीधे ही रिपोर्ट की गई हो, यथास्थिति, घर या गृहस्थी का मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में घर में मौजूद घर के मुखिया का निकटतम नातेदार, रजिस्ट्रार से, जन्म या मृत्यु के उद्धरण उसके संबंध में रिपोर्ट के 30 दिन के भीतर प्राप्त कर सकेगा.

(3) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर पर होने वाले जन्म और मृत्यु की घटनाओं के मामले में, जिनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा रिपोर्ट की गई हो, ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, यथा-स्थिति, संबंधित घर या गृहस्थी के मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में, घर में मौजूद घर के मुखिया का निकटतम नातेदार, रजिस्ट्रार से जन्म और मृत्यु के उद्धरण, उसके संबंध में रिपोर्ट के 30 दिन के भीतर प्राप्त कर सकेगा.

(4) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट संस्थागत जन्म और मृत्यु की घटनाओं के मामले में, नवजात या मृतक का निकटतम नातेदार, संबंधित संस्था के अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति से उद्धरण, जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के तीस दिनों के भीतर प्राप्त कर सकेगा.

9. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये प्राधिकारी तथा उसके लिये देय फीस.—

(1) ऐसे किसी भी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी जानकारी, नियम 5 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, किन्तु इसके घटित होने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को दी गई हो, 2 रुपये की विलम्ब फीस का भुगतान करने पर किया जा सकेगा.

(2) ऐसे किसी भी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी जानकारी उसके घटित होने के 30 दिवस के पश्चात् किन्तु 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी गई हो, इस निमित प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से तथा 5 रुपये की विलम्ब फीस का भुगतान करने पर और नोटरी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष किये गये शपथ-पत्र को पेश किये जाने पर ही किया जायेगा.

(3) ऐसे किसी भी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जो उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया हो, केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर और दस रुपये की विलम्ब फीस का भुगतान करने पर ही किया जाएगा.

10. धारा 14 के प्रयोजन के लिये कालावधि.—

(1) जहां किसी बालक का जन्म बिना किसी नाम के रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक के माता-पिता या अभिभावक, बालक के जन्म की रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 मास के भीतर, बालक के नाम से संबंध में रजिस्ट्रार को या तो मौखिक या लिखित में जानकारी देगा :

परन्तु यदि जानकारी उपरोक्त 12 मास की कालावधि के पश्चात् किन्तु 15 वर्ष की कालावधि के भीतर दी जाती है, तो उसकी संगणना :—

(एक) उस मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण, इस नियम के प्रारंभ की तारीख के पूर्व किया गया है वहां ऐसी तारीख से की जायेगी, या

(दो) उस मामले में जहां रजिस्ट्रीकरण इस नियम, के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् किया गया हो वहां ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जायेगी और धारा 23 की उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये रजिस्ट्रार :—

(क) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है तो 5 रुपये की विलम्ब फीस का भुगतान किया जाने पर जन्म रजिस्टर के संबंधित प्ररूप के सुसंगत कालम के नाम की तत्काल प्रविष्टि करेगा,

(ख) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं है एवं यदि जानकारी मौखिक रूप से दी जाती है, तो आवश्यक विशिष्टियां देते हुये रिपोर्ट करेगा, और यदि जानकारी लिखित में दी जाती है तो उसे, पांच रुपये की विलम्ब फीस का भुगतान किये जाने पर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक प्रविष्टि करने के लिये अग्रेषित करेगा.

(2) यथा स्थिति माता-पिता या अभिभावक भी धारा 12 के अधीन उसे दी गई उद्धरण की प्रतिलिपि या धारा 17 के अधीन जारी किया गया प्रमाणिक उद्धरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा और ऐसे प्रस्तुतीकरण पर रजिस्ट्रार, बालक के नाम के संबंध में आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उप-नियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) में अधिकथित किये गये अनुसार कार्यवाही करेगा.

11. जन्म और मृत्यु रजिस्टर में की प्रविष्टि शुद्धि या उसका रद्दकरण.—

(1) यदि रजिस्ट्रार को यह रिपोर्ट की जाती है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय अथवा औपचारिक त्रुटि की गई है या यदि ऐसी त्रुटि अन्यथा उसकी जानकारी में आये और यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है, तो रजिस्ट्रार मामले की जांच करेगा तथा यदि उसका इस बात से समाधान हो जाये की ऐसी कोई त्रुटि की गई है तो वह धारा 15 में उपबन्धित किये गये अनुसार उस त्रुटि की (प्रविष्टि को शुद्ध करते हुये या रद्द करते हुये) शुद्ध करेगा और वह त्रुटि और यह बात दर्शाते हुये कि उसे किस प्रकार शुद्ध किया गया है, प्रविष्टि की उद्धरण राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा.

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मामले में यदि रजिस्टर उसके कब्जे में न हो तो रजिस्ट्रार, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करेगा तथा सुसंगत रजिस्टर मंगवायेगा एवं मामले की जांच करने के पश्चात्, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई त्रुटि हुई है, तो आवश्यक शुद्धि करेगा.

(3) उप-नियम (2) में यथा वर्णित ऐसी कोई शुद्धि, रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी.

(4) यदि कोई व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में की गई कोई प्रविष्टि सारत: गलत है तो रजिस्ट्रार, उस व्यक्ति द्वारा एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत की जाने की पर, जिसमें त्रुटि का स्वरूप दर्शाया गया हो और मामले के तथ्यों की जानकारी रखने वाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मामले के सही तथ्य बताये गये हों, धारा 15 के अधीन विहित रीति में प्रविष्टि में शुद्धि कर सकेगा.

(5) उप-नियम (1) तथा उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी रजिस्ट्रार आवश्यक ब्योरों सहित, उसमें निर्दिष्ट प्रकार की कोई शुद्धि की जाने की रिपोर्ट राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को देगा.

(6) यदि रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाये कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में की गई कोई प्रविष्टि कपटपूर्ण रूप से या अनुचित रूप से की गई है, तो वह उसकी रिपोर्ट आवश्यक ब्यौरों सहित मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा धारा 25 के अधीन इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को करेगा और उससे कोई सूचना प्राप्त होने पर उस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगा.

(7) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें इस नियम के अधीन कोई प्रविष्टि शुद्ध या रद्द की गई हो तो तत्संबंधी सूचना उस व्यक्ति के स्थायी पते पर भेजी जाएगी जिसमें धारा-8 या धारा-9 के अधीन जानकारी दी है.

12. **धारा 16 के अधीन रजिस्टर का प्ररूप**—प्ररूप क्रमांक 1, 2 एवं 3 के विधिक भाग, क्रमश: जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर (प्ररूप क्रमांक 7, 8 और 9) बनेगा.

13. **धारा 17 के अधीन देय फीस तथा डाक प्रभार.**—

(1) धारा 17 के अधीन तलाशी करने, उद्धरण या अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये देय फीस निम्नानुसार होगी :—

		रुपये
(क)	प्रथम वर्ष में एकल प्रविष्टि जिसके लिए तलाशी की गई है, की तलाशी के लिए	2.00
(ख)	प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिये, जिसके लिये तलाशी जारी रही हो	2.00
(ग)	प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण देने के लिये	5.00
(घ)	जन्म या मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र देने के लिये	2.00

(2) जन्म या मृत्यु से संबंधित ऐसा कोई उद्धरण रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथास्थिति प्ररूप क्रमांक-5 या प्ररूप क्रमांक-6, में जारी किया जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं. 1) की धारा 76 में उपबंधित रीति में प्रमाणित किया जायेगा.

(3) जन्म या मृत्यु की कोई विशिष्ट घटना रजिस्ट्रीकृत न पाई जाए तो रजिस्ट्रार यथास्थिति प्ररूप क्रमांक-10 में अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(4) ऐसा कोई उद्धरण या अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, उसकी मांग करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकेगा या डाक प्रभारों का भुगतान किया जाने पर उसे डाक से भेजा जा सकेगा.

14. **धारा 19 (1) के अधीन अंतराल तथा कालिक विवरणियों के प्ररूप.**—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक मास से संबंधित रिपोर्ट प्ररूपों के सांख्यिकी भागों को जन्म के लिये प्ररूप-11 में, मृत्यु के लिये प्रारूप-12 में एवं मृत जन्म के लिये प्ररूप-13 में संक्षिप्त मासिक रिपोर्ट के साथ, मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की आगामी मास की 5 तारीख को या उससे पूर्व भेजेगा.

(2) ऐसा प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त किये गये रिपोर्ट के समस्त सांख्यिकी भागों को मुख्य रजिस्ट्रार को, उस मास की 10 तारीख तक न कि उसके पश्चात् अग्रेषित करेगा.

15. **धारा 19 (2) के अधीन सांख्यिकी रिपोर्ट**—धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सांख्यिकी रिपोर्ट में इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूपों में सारणी अंतर्विष्ट होगी और उसे प्रत्येक वर्ष के लिये उस वर्ष के ठीक आगामी वर्ष की 31 जुलाई के पूर्व संकलित किया जायेगा और उसके पश्चात् बाद उसे यथाशक्य शीघ्र प्रकाशित किया जावेगा किन्तु किसी भी दशा में उस तारीख से 5 माह में न कि उसके पश्चात् किया जायेगा.

16. **अपराधों के प्रशमन के लिये शर्तें.**—

(1) धारा 23 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध, इस अधिनियम के अधीन दाण्डिक कार्यवाही संस्थित होने के पूर्व या उसके पश्चात्, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकेगा जिसे इस संबंध में मुख्य रजिस्ट्रार, द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किया गया हो, यदि इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि अपराध असावधानी से या भूल से पहली बार हो गया था.

(2) ऐसे किसी भी अपराध का प्रशमन ऐसी राशि का भुगतान करने पर, जो धारा 23 की उपधारा (1), (2) एवं (3) के अधीन किये गये अपराधों के लिये अधिक से अधिक 50 रुपये और उपधारा (4) के अधीन किये गये अपराधों के लिये अधिक से अधिक 10 रुपये तक जैसा कि उक्त अधिकारी उचित समझे, किया जा सकेगा.

17. **धारा 30 (2) (ट) के अधीन रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख.**—

(1) जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर एवं मृत जन्म रजिस्टर स्थाई महत्व के अभिलेख है तथा उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा.

(2) धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रार को प्राप्त न्यायालयीन आदेश एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा देने के आदेश जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर एवं मृत जन्म रजिस्टर के अभिन्न अंग होंगे तथा उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा.

(3) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन तैयार किया गया मृत्यु के कारण का प्रमाण-पत्र, मुख्य रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कम से कम 5 वर्ष की कालावधि के लिये प्रतिधारित किया जायेगा.

(4) रजिस्ट्रार द्वारा जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर एवं मृत जन्म रजिस्टर अपने कार्यालय में उस कलेण्डर वर्ष, जिसके कि वह संबंधित है, के समाप्त होने के पश्चात्, बारह मास की कालावधि तक प्रतिधारित किये जायेंगे और तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये अंतरित किये जायेंगे.

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 छत्तीसगढ़ राज्य के लिये एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार उपरोक्त उल्लेखित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के बारे में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल 2002—चैत्र 20, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक 386/405/2002/23/योआसां.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 10 (2) एवं (3) के तहत राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सा व्यवसायियों को मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र (प्ररूप क्रमांक 4/4 क में) जारी करना अनिवार्य करता है :

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम (विशेष चिकित्सालयों सहित).

(2) छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के निजी संगठनों, समितियों और अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त चिकित्सालय.

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में मृतक की अंतिम परिचर्या करने वाले सभी निजी चिकित्सा व्यवसायी.

ये प्रमाण-पत्र अधिनियम की व्यवस्थानुसार मृत्यु से संबंध इत्तिला देने के लिये अपेक्षित व्यक्ति/संस्था द्वारा मृत्यु की सूचना देने के साथ ही संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को प्रस्तुत किये जावेंगे. प्रमाण-पत्र का एक निर्धारित भाग मृतक के संबंधी को भी दिया जायेगा.

प्ररूप क्रमांक–4

(नियम 7 देखिए)

मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र

(अस्पताल के रोगियों हेतु, मृत जन्म के लिये उपयोग न करें)

प्ररूप क्रमांक 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजने के लिये

अस्पताल का नाम .....

मैं, एतद्द्वारा, यह प्रमाणित करता हूं कि व्यक्ति जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, को मृत्यु अस्पताल के वार्ड क्रमांक ..... में दिनांक ..... समय ..... पूर्वान्ह/अपरान्ह को हुई.

लिंग	मृत्यु के समय आयु				सांख्यिकी कार्यालय के उपयोग हेतु
	यदि एक वर्ष या अधिक हो तो आयु वर्ष में	यदि एक वर्ष से कम आयु हो तो आयु मास में	यदि एक मास से कम आयु हो तो आयु दिनों में	यदि एक दिन से कम आयु हो तो आयु घंटों में	
1-पुरुष 2-स्त्री					

मृत्यु का कारण I. तात्कालिक कारण रोग, चोट या व्याधी का नाम जिसके कारण मृत्यु हुई कथन करें, मृत्यु का प्रकार जैसे कि हृदय गति बंद होने, अस्थेनियां इत्यादि का कथन नहीं करें.	रोग का प्रकोप होने और मृत्यु होने के बीच के अंतराल की अनुमानित अवधि	
(क) ..... के कारण (या के परिणामस्वरूप)	.....	.....
पूर्ववर्ती कारण पूर्व विकृत स्थितियां, यदि कोई हों, जो उपरोक्त कारण बनने में सहयोगी रही हों, अन्त में अन्तर्निहित स्थिति का कथन करें.		
(ख) ..... के कारण (या परिणामस्वरूप)	.....	.....
(ग)	.....	.....
II. अन्य महत्वपूर्ण स्थितियां जो मृत्यु की सहयोगी हों परन्तु जिनका रोग या रोग उत्पन्न करने वाली स्थितियों से कोई संबंध न हो.		

मृत्यु का प्रकार	चोट कैसे लगी ?
1. प्राकृतिक 2. दुर्घटना 3. आत्महत्या 4. मानव बध 5. अन्वेषण लंबित	
यदि महिला थी, तो क्या गर्भावस्था थी ? मृत्यु उससे सम्बन्धित थी,	1. हां 2. नहीं
यदि हां, तो क्या प्रसव हुआ ?	1. हां 2. नहीं

सत्यापन का दिनांक .....

मृत्यु का कारण प्रमाणित करने वाले
चिकित्सीय परिचारक का नाम एवं हस्ताक्षर

.....

(पृथक किया जाए तथा मृतक के नातेदार को सौंपे)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री .....
निवासी .....
दिनांक ..... को इस अस्पताल में भर्ती हुई और दिनांक .....
को मृत्यु हुई :—

चिकित्सक .....
(चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल का नाम)

प्ररूप क्रमांक-4 क
(नियम 7 देखिए)

मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र

(गैर संस्थागत मृत्युओं के लिये, मृत जन्म के लिए उपयोग नहीं किया जाए)
प्ररूप क्रमांक 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजने के लिये

मैं, एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि मृतक श्री/श्रीमती/कुमारी .....
आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री ..... निवासी ..... दिनांक .....
से ..... तक मेरी चिकित्सा में था/थी और उनकी मृत्यु दिनांक .....
को ..... बजे (पूर्वान्ह/अपरान्ह) को हुई.

मृतक का नाम .....

लिंग	मृत्यु के समय आयु				सांख्यिकी कार्यालय के उपयोग हेतु
	आयु पूर्ण वर्षों में	यदि एक वर्ष से कम आयु हो तो आयु पूर्ण मासों में	यदि एक मास से कम आयु हो तो आयु पूर्ण दिनों में	यदि एक दिन से कम आयु हो तो आयु पूर्ण घंटों में	
1-पुरुष 2-स्त्री					

मृत्यु का कारण I. तात्कालिक कारण रोग, चोट या व्याधी का नाम जिसके कारण मृत्यु हुई कथन करें, मृत्यु का प्रकार जैसे कि हृदय गति बंद होने, अस्थेनियां इत्यादि का कथन नहीं करें.		रोग का प्रकोप होने और मृत्यु होने के बीच के अंतराल की अनुमानित अवधि	
	(क) ..... के कारण (या के परिणामस्वरूप)	.....	.....
पूर्ववर्ती कारण पूर्व विकृत स्थितियां, यदि कोई हों, जो उपरोक्त कारण बनने में सहयोगी रही हों, अन्त में अन्तर्निहित स्थिति का कथन करें.			
	(ख) ..... के कारण (या परिणामस्वरूप)	.....	.....
	(ग)	.....	.....
II. अन्य महत्वपूर्ण स्थितियां जो मृत्यु की सहयोगी हों परन्तु जिनका रोग या रोग उत्पन्न करने वाली स्थितियों से कोई संबंध न हो.			
यदि मृतक महिला थी, तो क्या गर्भावस्था थी, मृत्यु उससे सम्बन्धित थी ?		1. हां	2. नहीं
यदि हां, तो क्या प्रसव हुआ ?		1. हां	2. नहीं

प्रमाणीकरण का दिनांक .....

मृत्यु का कारण प्रमाणित करने वाले
चिकित्सीय परिचारक का नाम एवं हस्ताक्षर

(पृथक किया जाए तथा मृतक के नातेदार को सौंपे)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री ..... निवासी.....
दिनांक ..... से ..... तक मेरी चिकित्सा में थे/थी और उनकी मृत्यु दिनांक .....
को .....बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में हुई.

चिकित्सक .....
(चिकित्सक का पता एवं हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित)

Raipur, the 3rd April, 2002

NOTIFICATION

No. 385/405/2002/23/ES.—Under the provisions of Section 10 (2) and (3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 the State Government hereby makes it compulsory, to issue Medical Certificate of cause of Death (in prescribed form 4/4a) for all the Hospitals and private medical practitioners mentioned below :—

1. All Government and private hospitals, nursing homes (including specialised hospitals) of rural and urban areas of Chhattisgarh State.

2. All hospitals managed by private organisations, socities and seni-government organisations of rural and urban areas of Chhattisgarh State.

3. All Private Medical practitioners of urban areas of Chhattisgarh State who attended last at the time of death.

The certificates will be presented to the concerned registrar of Births and deaths at the time of giving information of death as required under the Act. Prescribed part of the certificate will also be handed over to the relative of the deceased.

FORM-4
(See Rule 7)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH
(Hospital In-Patients, Not to be used for still births)

To be sent to Registrar along with Form No. 2 (Death Report)

Name of the Hospital .....

I. hereby certify that the person whose particulars are given below died in the hospital in Word No.....
on ..... at ..... A.M./P.M.

NAME OF DECEASED

Sex	Age at Death				For use of Statistical office
	If 1 year or more age in years	If less than 1 year age in months	If less than one months, age in days	If less than one day, age in hours	
1. Male 2. Female					

CAUSE OF DEATH		Interval between on set & death approx.	
I. Immediate cause State the disease, injury or Complication which caused Death, not the mode of dying such as heart failure, asthenia, etc.	(a) ..... due to (or as a consequences of)	.....	.....
Antecedent cause Morbid conditions, if any, giving rise to the above cause stating underlying conditions last.	(b) ..... due to (or as a consequences of)	.....	.....
	(c)	.....	.....
II. Other significant conditions contributing to the death but not related to the disease or conditions causeing it.	.....	.....	.....

How did the Injury occur ?

Manner of Death

1. Natural 2. Accident 3. Suicide 4. Homicide 5. Pending Investigation

If deceased was a female, was pregnacy the death associated with ? 1. Yes 2. No

If yes, was there a delivery ? 1. Yes 2. No

Name and Signature of the Medical Attendant certifying the cause of death

Date of verification .....

(To be detached and handed over to the relative of the deceased)

Certified that Shri/Smt./Ku. ..... S/W/D of Shri ..... R/O ..... was admitted to this hospital on ..... and expired on .....

Doctor .....

(Medical Supdt. Name of Hospital)

FORM-4 A

(See Rule 7)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

(For non-Institutional deaths. Not to be used for still births)

To be sent to Registrar along with Form No. 2 (Death Report)

I, hereby certify that the deceased Shri/Smt./Ku. ..... Son of/wife of/daughter of ..... resident of ..... was under my treatment from ..... to ..... and he/she died on ..... at ..... A.M./P.M.

NAME OF DECEASED :

Sex	Age at Death				For use of Statistical office
	Age in completed years	If less than 1 year, age in months	If less than one months, age in days	If less than one day, age in hours	
1. Male 2. Female					

CAUSE OF DEATH		Interval between on set & death approx.	
I. Immediate cause State the disease, injury or Complication which caused Death, not the mode of dying such as heart failure, asthenia, etc.	(a) ..... due to (or as a consequences of)	.....	.....
Antecedent cause Morbid conditions, if any, giving rise to the above cause stating underlying conditions last.	(b) ..... due to (or as a consequences of)	.....	.....
II.	(c)	.....	.....
Other significant conditions contributing to the death but not related to the disease or	.....	.....	.....

If deceased was a female, was pregnacy the death associated with ? 1. Yes 2. No
If yes, was there a delivery ? 1. Yes 2. No

Name and Signature of the Medical practitioner certifying the cause of death
Date of verification .....

(To be detached and handed over to the relative of the deceased)

Certified that Shri/Smt./Ku. ..... S/W/D of Shri .....
R/O ..... was under my treatment from .....
to ..... and he/she expired on ..... at ..... A.M./P.M.

Doctor .....
Signature and address of medical Practitioner/
Medical attendant with registration No.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2007—कार्तिक 25, शक 1929

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
(वित्त तथा योजना विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक 4-9/2007/23/वियो.—जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 (क्रमांक 18 सन् 1969) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2), धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 219/2001/यो. आ. सा./23/2001, दिनांक 02 मई, 2001 तथा तत्संबंधी पूर्व अन्य समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर क्रमशः कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार, उप मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार नियुक्त करती है जो 01 जनवरी, 2008 से प्रभावशील होगा, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	अधिकारी (2)	पद (3)	अधिकारिता (4)
1.	संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2.	उप संचालक (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी.	उप मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
3.	कलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार	उनके राजस्व जिले के भीतर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	जिला पंजीयक	उनके राजस्व जिले
5.	नगर पालिका निगम का आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी या निगम द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य अधिकारी.	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके नगर पालिका निगम की सीमा के भीतर.
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य अधिकारी.	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की सीमा के भीतर.
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके जनपद पंचायत के भीतर
8.	पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी	उप-रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके ग्राम पंचायत के भीतर.

Raipur, the 8th November 2007

NOTIFICATION

No. 4-9/2007/23/F&P.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of the section 4, sub-section (1) of section 6 and sub-section (1) of section 7 of the Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969) and in supersession of this department's notification No. 219/2001/PES/2001, dated 2nd May, 2001 and corresponding all other previous notification, the State Government hereby appoints the following officers as specified in the column No. (2) as a Chief Registrar, Deputy Chief Registrar, Additional Chief Registrar, District Registear, Registrar and sub-Registrar respectively as specified in column No. (3) within the Jurisdiction as specified in column No. (4) of the Table given below for the purposes of the said Act, with effect from 1st January 2008, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4)
1.	Director of Economics and Statistics	Chief Registrar Births and Deaths	Whole State of Chhattisgarh
2.	Deputy Director (vital statistics) Economics and Statistics.	Deputy Chief Registrar Births and Deaths.	Whole State of Chhattisgarh
3.	Collector	Additional Chief Registrar Births and Deaths.	Within their Revenue District
4.	District Planning and Statistics Officer.	District Registrar Births and Deaths.	Within their Revenue District
5.	Chief Commissioner/Health Officer of Municipal Corporation or any other Officer nominated by corporation.	Registrar Births and Deaths	Within their limits of Municipal Corporation.
6.	Chief Municipal Officers or other Officers nominated by the Municipal Council/Nagar Panchayat.	Registrar Births and Deaths	Within their Municipal Council/Nagar Panchayat.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Chief Executive Officer Janpad Panchayat.	Registrar Births and Deaths	Within their Janpad Panchayat.
8.	Panchayat Sachiv/Panchayat Karmi.	Sub-Registrar Births and Deaths	Within their Gram Panchayat

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 6 की उप-धारा (1) तथा धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/वियो, दिनांक 8 नवम्बर 2007 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर, क्रमशः कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक मुख्य रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगी.

सारणी

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	पद (3)	अधिकारिता (4)
1.	संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व संभाग के भीतर
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व जिले के भीतर
3.	संयुक्त संचालक, (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
4.	सहायक संचालक, (जीवनांक) आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
5.	राज्य के 30 या इससे अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी.	रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये उनके अधीनस्थ चिकित्सालय.

No. F 4-4/2011/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4, sub-section (1) of Section 6 and sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969) and in addition to this Department's Notification No. 4-9/2007/23/F & P dated 8th November 2007, the State Government hereby appoints the following officers as specified in the column No. (2) as Divisional Chief Registrar, Assistant Additional Chief Registrar, Joint Chief Registrar, Assistant Chief Registrar and Registrar respectively as specified in the column No. (3) within the jurisdiction as specified in the column No. (4) of the Table given below to strengthen the Civil Registration System. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4)
1.	Divisional Commissioner	Divisional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue Division.
2.	Chief Executive Officer District Panchayat.	Assistant Additional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue District
3.	Joint Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Joint Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
4.	Assistant Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Assistant Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
5.	Officers in charge of all Government Hospitals in the state having 30 or more beds.	Registrar (Births and Deaths)	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and still Births.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका तथा ग्राम कोटवारों को उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर घर में हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण के लिये, आगामी आदेश तक सूचनादाता नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगी.

No. F 4-4/2011/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 8 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), the State Government, heerby appoints the Anganbadi Workers, Anganbadi Assistants and Gram Kotwars of Rural area as notifier till the next order, within the limits of their working area for the registration of births and deaths occurred in home. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—171—1/2014—500